111

संख्या-3524 /1-10-2013-12(6)/13

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक : 27 नवम्बर , 2013

विषय वर्ष 2013-14 में अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निमाण/पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-497/आपदा-बाढ़-प्राक्कलन 2013-14, दिनांक 06.11.2013, पत्र संख्या-496/आपदा-बाढ़-प्राक्कलन 2013-14, दिनांक 06.11.2013, पत्र संख्या-495/आपदा-बाढ़-प्राक्कलन 2013-14, दिनांक 06.11.2013 एवं पत्र संख्या-494/आपदा-बाढ़-प्राक्कलन 2013-14, दिनांक 06.11.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2013-14 में अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निमाण/पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद/**सिंचाई विभाग** द्वारा प्रस्तुत 04 परियोजनाएं/कार्य जो **जिला स्तरीय समिति** द्वारा अनुमोदित है के लिए कुल रू0 1,91,11,000/- की धनराशि आंकलित/प्राक्कलित की गयी है। अतः प्रश्नगत मामले/कार्यों के लिए मांगी गयी कुल धनराशि रू0 1,91,11,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल धनराशि **रू0 95,55,500 (कुल रूपये पंचानबे लाख पचपन हजार पॉच सौ मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

क्र0सं	कार्यदायी विभाग का नाम	कार्यो/ परियोजनाओं की संख्या/नाम	अनुमानित लागत/मांगी गयी धनराशि (रू0 में)	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
1	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, इलाहाबाद/बाढ़	जनपद इलाहाबाद में स्थित सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध के किमी0 0.00 से 0.455 तक गंगा नदी द्वारा हुये कटान की तात्कालिक मरम्मत	49,30,000	24,65,000

	कार्य खण्ड सिंचाई विभाग, इलाहाबाद			
2	तदैव	जनपद इलाहाबाद में स्थित सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध के किमी0 0.425 से 0.455 तक गंगा नदी द्वारा हुये कटान के कारण टूटे हुये रिंग बांध की तात्कालिक मरम्मत	43,26,000	21,63,000
3	तदैव	जनपद इलाहाबाद में स्थित सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध के किमी0 0.455 से 0.800 तक गंगा नदी द्वारा हुये कटान की तात्कालिक मरम्मत	49,73,000	24,86,500
4	तदैव	जनपद इलाहाबाद में स्थित बक्शी बंध पर गंगा नदी द्वारा हुई कटान को रोकने व उस पर पिचिंग, बक्शी बांध पर लगें स्लुजगेटों तथा सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बंध पर लगे स्लुजगेटों को बन्द करने व पुन: खोलने के तात्कालिक मरम्मत का कार्य।	48,82,000	24,41,000
			1,91,11,000	95,55,500

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -42-अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुन: यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा

दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ् पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.

यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय । राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये ।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

28/11

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-3524 (1)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग/प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन** पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी इलाहाबाद ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

27/11/17

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।